

सम्पादकीय

आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में केवल बयान नहीं, जवाबदेही जरूरी

आतंकवाद किसी एक देश की समस्या नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए चुनौती है। जब किसी देश की जमीन का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए होता है, तब उसका असर सीमाओं से बाहर तक पहुंचता है। संयुक्त राष्ट्र की छठी समिति में भारत ने इसी गंभीर सवाल को उठाते हुए पाकिस्तान से आतंकवाद के वित्तपोषकों और प्रायोजकों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जरूरत दोहराई है। भारत के प्रथम सचिव रघु पुरी ने 26/11 मुंबई हमलों और 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमले का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया इन घटनाओं को भूलती नहीं है। भारत की आपत्ति का मूल सवाल यही है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई केवल आतंकवादियों को पकड़ने तक सीमित नहीं हो सकती। जब तक आतंकवाद को पैसा, प्रशिक्षण, हथियार, सुरक्षित ठिकाने और राजनीतिक संरक्षण उपलब्ध कराने वाले तंत्र पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक आतंकवाद की जड़ें कमजोर करना मुश्किल रहेगा। आतंकवादी संगठन अपने आप में कोई अलग-थलग समस्या नहीं होते। उनके पीछे काम करने वाला वित्तीय और वैचारिक नेटवर्क कहीं अधिक गंभीर चुनौती होता है। पाकिस्तान को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद की फंडिंग से जुड़े सवाल नए नहीं हैं। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी स्रज़बल ने जून 2018 में पाकिस्तान को रणनीतिक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंधित कमियों के कारण बड़ी हुई निगरानी के दायरे में रखा था। अक्टूबर 2022 में एफएटीएफ ने पाकिस्तान को इस निगरानी सूची से बाहर किया और उसके द्वारा अपनी कार्ययोजना में महत्वपूर्ण प्रगति किए जाने की बात कही। इसलिए आज पाकिस्तान की स्थिति को उसी पुराने ‘ग्रे लिस्ट’ दर्जे में बताना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा, लेकिन आतंकवाद की फंडिंग रोकने और अंतरराष्ट्रीय मानकों को प्रभावी ढंग से लागू करने की चुनौती समाप्त नहीं हुई है। भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र में उठाया गया दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा आतंकवाद और धार्मिक नफरत का संबंध है। पहलगाम में पर्यटकों को कात्थित तौर पर उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर निशाना बनाए जाने का उल्लेख करते हुए भारत ने इस विरोधाभास की ओर ध्यान दिलाया कि धार्मिक नफरत खत्म करने की बात करने के साथ-साथ सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली परिस्थितियाँ कैसे स्वीकार की जा सकती हैं। यह सवाल केवल भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय नहीं, बल्कि आतंकवाद के वैश्विक स्वरूप से जुड़ा प्रश्न है। पाकिस्तान का यह कहना हो सकता है कि वह स्वयं आतंकवाद को पीड़ित है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पाकिस्तान के भीतर भी आतंकवादी हिंसा में बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं। लेकिन इसी तथ्य से यह प्रश्न और महत्वपूर्ण हो जाता है कि आतंकवाद को लेकर नीति दोहरे मानदंडों पर आधारित नहीं होनी चाहिए। किसी आतंकवादी संगठन की गतिविधि अगर पड़ोसी देश में होती है तो वह उतनी ही गंभीर है, जितनी अपने देश में। आज दुनिया के सामने आवश्यकता इस बात की है कि आतंकवाद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था राजनीतिक सुविधाओं से ऊपर उठे।

वि वि ध

एसआईआर पर हंगामा, हकीकत से ज्यादा फसाना

एसआईआर का एक ही मकसद है, हर योग्य और वैध मतदाता को सूची में जोड़ना, दिए गए पते पर न रहे मतदाताओं और मृतकों का नाम सूची से हटाना। इसके साथ ही विदेशी और घुसपैठियों को मतदाता सूची से बाहर करना है।

■ उमेश चतुर्वेदी

एसआईआर को लेकर जारी हंगामे और विरोध के बीच हकीकत और दावों में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। परियोजना से जुड़े तथ्यों की पड़ताल से स्पष्ट होता है कि विरोध में कई बातें वास्तविकता से परे हैं और केवल अफवाहों पर आधारित हैं।

विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सियासी पारा लगाता चढ़ा हुआ है। विशेषकर विपक्षी दल जिस तरह से इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, उससे माहौल में एक भ्रम फैल रहा है। विपक्षी हंगामे और सवालों के चलते ऐसे लोगों की संख्या बढ़ी है, जो मानने लगे हैं कि मतदाता सूची की जांच एक तरह से नागरिकता की जांच हो गई है। लोग एक बारगी वोटर न होने को बर्दाश्त कर भी लें, लेकिन कोई नहीं चाहेगा कि उसकी जन्मजात नागरिकता पर सवाल उठे या वह खतरे में पड़े। कहना न होगा कि विशेषकर पश्चिम बंगाल में हुए एसआईआर के बहाने विपक्ष यह भ्रम और डर-दोनों फैलाने में किंचित सफल रहा है। हालांकि यह भी सच है कि ऐसा भ्रम और डर सिर्फ पश्चिम बंगाल और बिहार के ही कुछ इलाकों में ही दिख रहा है। एसआईआर उत्तर प्रदेश में भी हुआ है और दिल्ली में भी जारी है। एसआईआर तमिलनाडु में भी हुआ है। लेकिन यहां के मतदाताओं के बीच ऐसा भ्रम और डर न के बराबर दिखा है।

ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर बिहार और पश्चिम बंगाल में ऐसा डर क्यों दिख रहा है? इसकी वजह है, वहां पिछले कुछ दशकों में बांग्लादेश से बड़ी घुसपैठ। पश्चिम बंगाल में जब सत्ता में वाममोर्चा था, तब यही ममता बनर्जी वहां घुसपैठ के मुद्दे को उछालती रहती थीं और वाममोर्चे पर आरोप लगाती रहती थीं कि वह इसे बढ़ावा दे रहा है। ममता बनर्जी इस बहाने परोक्ष रूप से वाममोर्चा पर आरोप लगाती थीं कि मतदाता बने घुसपैठियों के ही सहारे वह पश्चिम बंगाल की सत्ता में काबिज है। बाद के दिनों में ये मतदाता ममता के समर्थक हो गए और ममता की सत्ता के आधार बनने लगे तो उन्हें भी यह मामला फिजूल का लगने लगा। बिहार का सीमांचल इलाका भी बांग्लादेशी घुसपैठ से प्रभावित रहा है। इसलिए



वहां भी ऐसे सवाल और भ्रम उठ रहे हैं। चूंकि एसआईआर में ऐसे अवैध मतदाता ज्यादा सवालों के घेरे में हैं या फिर उनके नाम कट रहे हैं, इस वजह से इन्हीं राज्यों में यह मुद्दा कुछ ज्यादा तुर्श दिख रहा है।

मतदाता सूची में सुधार और उसमें चुनाव आयोग एवं मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर भी बड़े सवाल उठे हैं। सवाल यह भी है कि क्या एसआईआर को लेकर उठाए जा रहे सवाल असल में प्रक्रियात्मक और कानूनी हैं या इनके जरिए सिर्फ राजनीति हो रही है? पहले ही कहा जा चुका है कि एसआईआर को लेकर विपक्षी दलों की सबसे ज्यादा आपत्तियां बिहार और पश्चिम बंगाल से जुड़ी बताई जा रही हैं। कुछ राजनेताओं और दलों ने एसआईआर के आधार पर इन राज्यों के चुनावी परिणामों और मतदाता सूची की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। यहां ध्यान रखने की बात है कि एसआईआर केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी हुआ, लेकिन वहां बिहार या पश्चिम बंगाल की तरह इस पर सियासी विवाद नहीं हुआ। ऐसे में सवाल उठाना लाजमी है कि यदि कुछ राज्यों में एसआईआर को लेकर गंभीर आपत्ति नहीं है तो फिर एक या दो राज्यों में गंभीर आपत्तियां क्या राजनीतिक एजेंडे की वजह से तो नहीं उठाई जा रहीं? एसआईआर को देखने और समझने की एक ही कसौटी हर राज्य में क्यों नहीं लागू की जा रही है? इससे तो यही संकेत जाता है कि इसका सियासी विरोध सेलेक्टिव है और दोहरे मापदंड से भरा हुआ है।

क्या है एसआईआर की मानक प्रक्रिया?: एसआईआर को लेकर जारी बहस में बड़े पैमाने पर नाम हटाने, तकनीकी प्रणाली के इस्तेमाल और पारदर्शिता जैसे सवाल उठाए गए हैं। मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया निर्धारित कानूनी और प्रशासनिक चरणों के तहत होती है। नाम हटाने से पहले मतदाता को नोटिस जारी करने और उसकी आपत्तियों और तर्कों की सुनवाई की जाती है। इसके बाद आखिरी निर्णय संबंधित निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर होता है। इसलिए ड्राफ्ट मतदाता सूची में किसी मतदाता का नाम नहीं होना और अंतिम मतदाता सूची से नाम हट जाना, एक ही बात नहीं है। इसलिए जरूरी है कि दावे, ड्राफ्ट आंकड़े, आपत्तियों और अंतिम निर्णय, इन सभी चरणों को अलग-अलग समझा जाए। हर स्तर पर चूंकि आयोग ने पारदर्शी व्यवस्था अपना रखी है, इसे समझना हो तो अभी दिल्ली के किसी बीएलओ केंद्र का दौरा किया जा सकता है। दिल्ली में खूब नोटिस जारी किए गए हैं, उनके जवाब में लोग बीएलओ यानी बृथ स्तर के अधिकारी के पास पहुंच रहे हैं। लेकिन अफरातफरी, घबराहट या दहशत नहीं दिख रही। बीएलओ लोगों से जरूरी फॉर्म और प्रमाण ले रहे हैं। ज्यादातर नोटिस की वजह पूरा नाम ना होना, नाम की वर्तनी गलत होना, पिता या पति के नाम का पूरा न होना या फिर उनके नाम की वर्तनी में गड़बड़ी या कमी होना है। अधिकारियों का कहना है कि ईसीआईनेट का सॉफ्टवेयर मतदाता सूची के पहले से जारी नाम और आवेदन में कुछ ही

देश/प्रदेश

विधाधर नगर स्टेडियम में डांडिया महोत्सव कल



जयपुर (मॉर्निंग न्यूज़)

अग्रवाल वुमन ऑर्गेनाइजेशन की ओर से 10 अक्टूबर को भव्य डांडिया महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष रीमा गर्ग व महामंत्री अनिता पोद्दार ने बताया कि अग्रवाल वुमन ऑर्गेनाइजेशन की ओर से यह 18वां आयोजन है। उन्होंने बताया कि यह भव्य आयोजन विधाधर नगर स्टेडियम जयपुर में होगा। कार्यक्रम का उद्घाटन शाम 6 बजे होगा।

मुख्य अतिथि उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, वित्त आयोग चेरमैन अरुण चतुर्वेदी, महापौर सुनील कोठारी, उप महौपर सराज कंवर, विधायक गोपाल

शर्मा, पूर्व मंत्री कालीचरण सारंग, पूर्व विधायक मोहनलाल गुप्ता, पूर्व विधायक अशोक लाहोटी, सांसद सतीश पुनिया सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। वरिष्ठ उपाध्यक्ष, रेखा गज सुरेखा अग्रवाल मीनू अग्रवाल, उपाध्यक्ष सुनीता बंसल, अर्न्तू गुप्ता, मनीषा सहरिया ने बताया कि डांडिया महोत्सव का आयोजन अतिथियों द्वारा शाम 6 बजे महाआरती के साथ होगा। उन्होंने बताया कि डांडिया महोत्सव में फूड जोन, बच्चों के लिए खेलकूद की सुविधा भी रहेगी। साथ ही डांडिया महोत्सव में, बेस्ट ड्रेस, ब्यूटीफुल फेस, ब्यूटीफुल कालन, बेस्ट डॉस, बेस्ट परफोमेंस, बेस्ट हूटिंग अवार्ड भी दिए जाएंगे।

डॉ. श्वेता की अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां

जयपुर (मॉर्निंग न्यूज़)

एस.एस. जैन सुबोध पीजी कॉलेज के प्राणीशास्त्र विभाग की सहायक आचार्य डॉ. श्वेता शर्मा ने अनुसंधान एवं नवाचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की हैं। डॉ. श्वेता शर्मा के अनुसंधान कार्य के अंतर्गत लाइसिनसिलस स्फेरिकस स्ट्रेन एमडीएनबी03 16एस राइबोसोमल आरएनए जीन अनुक्रम को विश्व के प्रमुख जैव-सूचना संसाधन राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र के

जीनबैंक में सफलतापूर्वक जमा कर प्रकाशित किया गया है। यह उपलब्धि सूक्ष्मजीवों की आणविक पहचान एवं जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। डॉ. शर्मा ने जलमहल झील, जयपुर में वृक्षारोपण, जैव विविधता एवं पर्यावरणीय अध्ययन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण एवं जैव विविधता के प्रति स्थानीय समाज में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए भी सक्रिय रूप से कार्य किया है।

प्रकृति एवं वन्यजीवों के संरक्षण के लिए जागरूक रहने का आह्वान

वन्यजीव सप्ताह का समापन

सवाई माधोपुर (एजेंसी)

वन्यजीव सप्ताह के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला का समापन समारोह राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, सवाई माधोपुर में समारोहपूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण जागरूकता एवं प्रकृति के प्रति विद्यार्थियों और आमजन की भागीदारी को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया।

समापन समारोह में मुख्य वन संरक्षक शरदा प्रताप सिंह, जिला कलेक्टर कानाराम, उप वन संरक्षक सवाई माधोपुर सुनील, उप वन संरक्षक रणथम्भौर टाइगर रिजर्व मांस सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परियट मोहित सहित दिनेश जांगिड़ उपस्थित रहे।



वन्यजीव सप्ताह के दौरान विद्यार्थियों के लिए विभिन्न चित्रकला, निबंध, प्रश्नोत्तरी एवं अन्य जागरूकता संबंधी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। समापन समारोह के दौरान प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले एवं विजेता विद्यार्थियों को अतिथियों द्वारा प्रशस्ति-पत्र एवं पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अधिकारियों ने

विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण केवल वन विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें समाज के प्रत्येक वर्ग की सहभागिता आवश्यक है। विद्यार्थियों में प्रकृति एवं वन्यजीवों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने से संरक्षण के प्रयासों को दीर्घकालिक मजबूती मिलती है।

कार्यक्रम में वन्यजीव संरक्षण के महत्व, रणथम्भौर की जैव विविधता तथा प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण के

लिए जनभागीदारी की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया। उपस्थित अधिकारियों ने विद्यार्थियों को प्रकृति एवं वन्यजीवों के संरक्षण के लिए जागरूक नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभाने का आह्वान किया। समारोह के अंत में को सफल बनाने में सहयोग देने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों तथा अन्य सहयोगियों का आभार व्यक्त किया गया।



देश की पहली पुलिस पोलो टीम तैयार

जयपुर (मॉर्निंग न्यूज़)। राजस्थान पुलिस ने खेल प्रतिभाओं की प्रोत्साहित करने की दिशा में नई पहल करते हुए देश की पहली पुलिस पोलो टीम तैयार की है। राजस्थान पुलिस के खेलों के दायरे में अब पोलो भी शामिल हो गया है। राजस्थान पुलिस अकादमी में गुरुवार को पुलिस पोलो टीम का भव्य उद्घाटन समारोह हुआ।

महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा ने बॉल रोलिंग कर पुलिस पोलो टीम और उद्घाटन मुकाबले का शुभारंभ किया। इसके साथ ही राजस्थान पुलिस की पोलो टीम के सफर की औपचारिक शुरुआत हुई। अकादमी के हॉकों ग्राउंड में टीम रेड और टीम ब्लू के बीच उद्घाटन मुकाबला खेला गया। घोड़ों की रफतार, खिलाड़ियों के

कौशल और शानदार तालमेल ने मुकाबले को रोमांचक बना दिया। उद्घाटन मुकाबले में टीम ब्लू ने टीम रेड को 6-2 से हराया। टीम रेड की ओर से जितेंद्र सिंह, मयूर गज सिंह, विजय और देवेंद्र ने मैदान संभाला, जबकि टीम ब्लू में अजय सिंह, शुभम गुप्ता, राजेश कुमार और ड्वार सिंह शामिल रहे। खिलाड़ियों ने पूरे मुकाबले के दौरान जोश और टीम भावना का प्रदर्शन किया। राजस्थान पुलिस के अधिकारियों के अनुसार, पोलो को पुलिस खेलों में शामिल करना खेल प्रतिभाओं को नया मंच देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। घुड़सवारी, खेल कौशल और टीम भावना के संगम वाले इस खेल से पुलिसकर्मियों को अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिलेगा।

डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान में स्थायी परिषद का गठन

जयपुर (मॉर्निंग न्यूज़)

डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान जयपुर के विधान में आवश्यक संशोधन करते हुए संस्था में स्थायी परिषद के रूप में एक उच्च सदन का गठन किया गया है। संस्था के कार्य को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और जवाबदेह बनाने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सोसाइटी के अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अधिकारी सत्यवीर सिंह ने बताया कि संस्था समाजहित से जुड़े अपने

कार्यों को पूरी पारदर्शिता और संवैधानिक मर्यादाओं के साथ आगे बढ़ाएगी। स्थायी परिषद संस्था के कार्यों की निगरानी, मार्गदर्शन तथा आवश्यक मामलों में निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। परिषद के गठन का उद्देश्य संस्था के संचालन में संस्थागत संतुलन, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की और मजबूत करना है। विधान के अनुसार स्थायी परिषद के संस्था की केंद्रीय कार्यकारिणी को मार्गदर्शन एवं सुझाव देने, निर्धारित समय पर निष्पक्ष एवं

शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने, चुनाव से संबंधित आवश्यक व्यवस्थाओं की निगरानी करने तथा संस्था से जुड़े विवादों के निस्तारण में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गई है। परिषद के निर्णय को संस्था के स्तर पर अंतिम एवं सर्वोच्च निर्णय माना जाएगा। सोसाइटी के संस्थापक हनुमान प्रसाद को स्थायी परिषद का अध्यक्ष तथा पूर्व आईपीएस जय नारायण शेर को संगठन सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नवनियुक्त पदाधिकारियों एवं परिषद के सदस्यों ने अपने

दायित्वों के निर्वहन की शपथ ग्रहण की। इस अवसर पर सोसाइटी के अध्यक्ष सत्यवीर सिंह ने कहा कि स्थायी परिषद का गठन संस्था को और अधिक लोकतांत्रिक, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि संस्था के सभी निर्णय संविधान और निर्धारित नियमों के अनुरूप लिए जाएंगे तथा डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के सामाजिक न्याय, समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों को केंद्र में रखकर संस्था के कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा।